

# कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त राजगढ अलवर राज0

कमांक:- कम्प्यूटर/2021/277

दिनांक:-22.3.2021


श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

जिला अलवर

विषय:- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से प्राप्त परिवाद JAWAB DO SARKAR की जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में

प्रसंग:-सम्पर्क पोर्टल परिवाद नं 03210679609383 की पालना में।  
महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद JAWAB DO SARKAR का इस इस आशय से प्राप्त हुआकी दिनांक 08/03/2021 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "एसआई ने रिपोर्ट दर्ज करवाने आई महिला से थाने में किया रेप, गिरफ्तार" के सम्बन्ध में। आदी परिवाद की जांच मन वृताधिकारी के द्वारा की गई दौराने जांच से पाया की परिवाद में दिये बिन्दुओ के संबध में पुलिस थाना खेडली पर मुकदमा नम्बर 131/2021 धारा 376, 376(2)(क)(पप) 376 सी आईपीसी दिनांक 07.03.2021 में दर्ज होने पर अनुसंधान मन वृताधिकारी को प्राप्त हुआ दौराने अनुसंधान मुल्जिम मुल्जिम भरतसिंह पुत्र प्रेम सिंह राजपूत निवासी रेवाडपुरा थाना बयाना जिला भरतपुर तत्कालीन उ0नि0 थाना खेडली जिला अलवर के विरुद्ध अपराध धारा 376, 376(2)(क)(पप) 376 सी 354 आईपीसी का अपराध साबित पाया जाने गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मुलजिम को न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। परिवाद जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें पेश है।

  
(अंजली अजीत जोरवाल)  
वृताधिकारी

वृत्त राजगढ अलवर